संख्या- 04/2023/1146/छप्पन-2022-68/2017 TC

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 10 जनवरी, 2023

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अन्तर्गत संचालित वायु सेवा के लिए वायबिलिटी गैप फण्डिंग (क्लेम सं0- 32) के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-89/आर0सी0एस0-2022-वी-1/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सारणी अनुसार वायु सेवा के संचालन के लिए एम0ओ0यू0 के प्रविधानों के अनुरूप वी0जी0एफ0 क्लेम सं0- 32 के अन्तर्गत आर0सी0एस0 रूटों हेतु राज्यांश की कुल धनराशि रु0 1,18,26,942/-(1,09,99,024+8,27,918) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

(रूट-I)

क्र.स.	**आर0सी0एस0 रूट**	**एयरलाइन्स का नाम**	**अवधि/माह**	**कुल वी0जी0एफ0 क्लेम की धनराशि (रूपए)**
1.	गोरखपुर- प्रयागराज-गोरखपुर	इण्टरग्लोब एविएशन लि0	अगस्त, 2021	61,28,902/-
2.	आगरा-बैंगलोर-आगरा	इण्टरग्लोब एविएशन लि0	अगस्त, 2021	87,76,800/-
3.	भुवनेश्वर-प्रयागराज-भुवनेश्वर	इण्टरग्लोब एविएशन लि0	अगस्त, 2021	76,40,352/-
4.	भोपाल-प्रयागराज-भोपाल	इण्टरग्लोब एविएशन लि0	अगस्त, 2021	66,20,040/-
5.	देहरादून-प्रयागराज-देहरादून	इण्टरग्लोब एविएशन लि0	अगस्त, 2021	72,67,392/-
6.	रायपुर-प्रयागराज-रायपुर	इण्टरग्लोब एविएशन लि0	अगस्त- 2021	1,09,67,614/-
7.	बरेली-दिल्ली-बरेली	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0	मार्च, 2021	31,73,170/-
8.	बरेली-दिल्ली-बरेली	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0	सितम्बर, 2021	44,20,850/-
			कुल वी0जी0एफ0 की धनराशि	**5,49,95,120/-**
			कुल वी0जी0एफ0 का 20 प्रतिशत (राज्यांश)	**1,09,99,024/-**

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(रूट-II)

क्र0 सं0	आर0सी0एस0 रूट	एयरलाइन्स का नाम	अवधि/माह	कुल वी0जी0एफ0 क्लेम की धनराशि (रूपए)
1.	प्रयागराज-बिलासपुर-प्रयागराज	एयरलाइनएलाइड सर्विसेज लि0	मार्च, 2021	41,34,060/-
2.	प्रयागराज-बलासपुर-प्रयागराज	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0	सितम्बर, 2021	41,45,120/-
		कुल वी0जी0एफ0 की धनराशि		82,79,180/-
		कुल वी0जी0एफ0 का 10 प्रतिशत (राज्यांश)		8,27,918/-

2- भारत सरकार की क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(e) के प्राविधान के अनुसार क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) के 20% अंश का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है तथा वी0जी0एफ0 क्लेम 10% भुगतान के सम्बन्ध में रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि "In this regard, it is intimated that the two RCS Airports connected by route Prayagraj-Bilaspur-Prayagraj are falling under two different State, therefore, VGF share of 20% has been divided equally between the two States on equilibrium basis. It is, therefore, requested to reimburse the VGF share claim of 10% at the earliest".

3- शासनादेश के प्रस्तर -1 में अंकित तालिका के विवरण के अनुरूप रूट-1 में उल्लिखित 08 मार्गों हेतु वी0जी0एफ0 की धनराशि रू0 5,49,95,120 के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि रू0 1,09,99,024 एवं सं0 रूट II में उल्लिखित 02 मार्गों हेतु वी0जी0एफ0 की धनराशि रू0 82,79,180 के सापेक्ष 10 प्रतिशत धनराशि रू0 8,27,918 अर्थात कुल रू01,18,26,942 (1,09,99,024+8,27,918) की स्वीकृत निर्गत की जानी है।उक्त धनराशि क्षेत्रीय संपर्कता योजना हेतु कार्यान्वयन संस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गठित रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट के माध्यम से सम्बंधित एयरलाइन कंपनी को भुगतान की जानी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अन्तर्गत संचालित वायु सेवा के लिए वायबिलिटी गैप फण्डिंग (क्लेम सं0- 32) के भुगतान हेतु एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुसार कुल वी0जी0एफ0 क्लेम के सापेक्ष राज्यांश के भुगतान हेतु रू0 1,18,26,942/-(रूपए एक करोड़ अट्ठारह लाख छब्बीस हजार नौ सौ बयालिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 1,18,26,942/- अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

II. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

III. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा |

IV. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक
07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

V. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

VI. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

VII. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक ''3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-02-रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जाएगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

पृ0सं0: 04/2023/1146(1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।

5- महाप्रबन्धक (एफ0 एण्ड ए0)-आर0सी0एस0, रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।